कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि जिले की विभिन्न स्थानीय नियोजन इकाइयों से नियुक्त वैसे शिक्षक, जो सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की अर्हता नहीं रखते थे, उन्होंने विभागीय नियमों की अनदेखी कर, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ मिलकर विभाग को गुमराह करके सक्षमता परीक्षा का आवेदन भरा गया एवं उसे उत्तीर्ण किया और विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान भी कर लिया है। इनमें से कुछ शिक्षक किसी अन्य प्रखंड या जिले में स्थानांतरण कराकर भी चले गए हैं। यह अत्यंत गंभीर एवं खेदजनक है कि निम्नलिखित श्रेणी के अयोग्य शिक्षकों ने तथ्यों को छिपाकर राज्यकर्मी (विशिष्ट शिक्षक) का दर्जा प्राप्त करने का कुप्रयास किया है-

1. जिनके विरुद्ध नियुक्ति से संबंधित मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
2. जिनकी नियुक्ति की जांच (निगरानी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा) प्रक्रियाधीन है या जिनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के फोल्डर गायब/संदिग्ध हैं।
3. जो जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर विद्यालय में योगदान तो कर लिए हैं, परंतु उनका मामला उच्च न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।
4. जो अवैध या फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त हैं और जिन्हें सेवा मुक्त करने हेतु संबंधित नियोजन इकाई को पूर्व में ही पत्र लिखा जा चुका है या जिनका प्रमाण पत्र अवैध है अर्थात अमान्य संस्था से है, परंतु वर्तमान में सेवा में है और उनके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है।
5. जिनके विरुद्ध संबंधित नियोजन इकाई के द्वारा कोई विभागीय कार्रवाई संचालित है या जो वर्तमान में नियोजन इकाई के द्वारा निलंबित हैं।

"बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023" की कंडिका-4 (सक्षमता परीक्षा) एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी मार्गदर्शिका के तहत स्पष्ट प्रावधान था कि सक्षमता परीक्षा का आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का सत्यापन सभी स्तर से किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यह आश्वस्त होना अनिवार्य था कि शिक्षक अभ्यर्थी वास्तव में विधिवत रूप से नियोजित है, उनका सेवा इतिहास स्वच्छ है तथा उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई, निलंबन, या नियुक्ति संबंधी न्यायिक/निगरानी जांच लंबित नहीं है। नियमों का उल्लंघन कर गुमराह करते हुए आवेदन भरने वाले शिक्षकों का कृत्य पूर्णतः अवैध एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना है।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं विभागीय नियमावली के आलोक में वैसे सभी शिक्षक जिन्होंने तथ्यों को छिपाकर एवं विभाग को गुमराह करते हुए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय में (विशिष्ट शिक्षक के रूप में) योगदान कर लिया है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनके योगदान को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित (Kept in Abeyance) किया जाता है तथा उनके विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसी भी प्रकार के वेतन/वित्तीय लाभ के आहरण पर रोक लगाई जाती है। चिह्नित शिक्षकों से स्पष्टीकरण (कारण बताओ नोटिस) प्राप्त करने के उपरांत अंतिम रूप से उनके योगदान को रद्द करते हुए मूल नियोजन इकाई में वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड लेखा सहायक को यह सख्त निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत ऐसे सभी चिह्नित शिक्षकों की विस्तृत सूची अगले 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस सूची में उन शिक्षकों का भी स्पष्ट उल्लेख हो जो आपके प्रखंड से किसी अन्य प्रखंड या अंतर-जिला स्थानांतरण के माध्यम से चले गए हैं तथा इन अयोग्य शिक्षकों को विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करवाने वाले प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम एवं उनका वर्तमान पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, ताकि नियमों की अनदेखी कर योगदान कराने के आरोप में उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस आदेश का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा (24 घंटे) के भीतर किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड लेखा सहायक के विरुद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

19.5.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-......988...... हाजीपुर दिनांकः-......19/5/26......

प्रतिलिपिः- सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित शिक्षक,जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड लेखा सहायक एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय उपनिदेशक तिरहुत प्रमंडल,मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

19.5.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।